

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 154/24 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

शिव कुमार कुम्हार वगैरह ————— प्रथम पक्ष

बनाम्

माधो उर्फ महादेव पंडित ————— द्वितीय पक्ष

आदेश

02-12-24

थाना प्रभारी सरिया के पत्रांक 13/2024 दिनांक 20.09.2024 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवरण वाले भूमि : मौजा- बड़की सरिया, थाना नं0- 139, खाता नं0- 23, प्लॉट नं0- 3915, रकबा- 28 डी0, चौहद्दी : उ0- सर्वे रास्ता, द0- माधो पंडित का जमीन, पू0- लीलमण पंडित तथा, प0- बैजनाथ मंडल का जमीन पर धारा 163 भा0ना0सु0सं0 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया गया तथा प्रथम पक्ष शिव कुमार कुम्हार वगैरह द्वितीय पक्ष माधो उर्फ महादेव पंडित वगैरह को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई भी कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया। उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा कारण पृच्छा दाखिल किए। दाखिल कारण पृच्छा में प्रथम पक्ष का कहना है कि वादग्रस्त भूमि खतियानी रैयती भूमि है जो केहर कुम्हार वो आल्हो कुम्हार के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष केहर कुम्हार के वंशज है तथा विवादित भूमि पर उनका दखल-कब्जा है तथा विपक्षीयण जबरन उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं साथ ही प्रथम पक्ष उक्त वाद को BNSS 2023 की धारा 164 में परिवर्तित करने का भी अनुरोध करते हैं।

वहीं दूसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष के पूर्वजों द्वारा प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष के बंटवारे के उपरान्त मकान बनवाया गया था तथा उक्त जमीन पर द्वितीय पक्ष का दखल-कब्जा है, चूंकि खतियान में उक्त भूमि केहर कुम्हार तथा आल्हो कुम्हार के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है तथा द्वितीय पक्ष आल्हो कुम्हार के वंशज है।

अतः उक्त जमीन पर प्रथम पक्ष को कोई हक नहीं बनता है।

चूंकि प्रस्तुत मामला उभय पक्ष के मध्य दखल-कब्जा के निर्धारण के संबंध में है एवं धारा 163 BNSS के तहत अल्प अवधि में दखल-कब्जे का विवेचन करना संभव नहीं है। अतः वाद को BNSS धारा 164 में परिवर्तित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को दे तथा BNSS की धारा 164 के तहत नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 17-12-2024 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित

02-12-24
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

02-12-24
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया